

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 139]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 अप्रैल 2019—चैत्र 12, शक 1941

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2019

फा. क्र. 84(09)-चार-2019-उप. चु.-106.—भारत निर्वाचन आयोग की निम्नांकित अधिसूचना क्रमांक 100-MP-LA-1-2019(Bye), दिनांक 2 अप्रैल 2019 सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

व्ही. एल. कान्ता राव, सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, the 2<sup>nd</sup> April 2019—12 Chaitra, 1941 (Saka)

## NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/1/2019 (Bye) :- WHEREAS, the seat of Shri Deepak Saxena in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 126 - Chhindwara Assembly Constituency has become vacant on 20<sup>th</sup> February, 2019 by reason of his resignation: and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub section (1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **Calls upon** the said 126 - Chhindwara Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 27<sup>th</sup> May, 2019 (Monday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) **Appoints**, with respect to the said election-

- |  |  |
|--|--|
| (a) Last date for filing nominations:                  | 09 <sup>th</sup> April, 2019 (Tuesday)   |
| (b) Date for the scrutiny of nominations:              | 10 <sup>th</sup> April, 2019 (Wednesday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures:      | 12 <sup>th</sup> April, 2019 (Friday)    |
| (d) Date of Poll:                                      | 29 <sup>th</sup> April, 2019 (Monday)    |
| (e) Date before which the election shall be completed: | 27 <sup>th</sup> May, 2019 (Monday) and; |

(C) **Fixes the hours** from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

Sd./-

(ANUJ JAIPURIAR)

Principal Secretary,

Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001  
नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 2019—12 चैत्र, 1941 (शक)

**अधिसूचना**

100/म.प्र.-वि.स./1/2019 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 126 - छिन्दवाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री दीपक सबसेना के त्यागपत्र के परिणामस्वरूप उनका स्थान दिनांक 20 फरवरी, 2019 को रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 126 - छिन्दवाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 27 मई, 2019 (सोमवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है :-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	09 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	10 अप्रैल, 2019 (बुधवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	12 अप्रैल, 2019 (शुक्रवार)
(घ) मतदान की तारीख:	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	27 मई, 2019 (सोमवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

हस्ता./-  
(अनुज जयपुरियार)  
प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.